


बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

आदेश

राज्य सरकार के 07 निश्चयों में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी। उक्त के आलोक में राज्य में विभिन्न केन्द्रों को कुशल युवा प्रोग्राम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिला कौशल प्रबंधक के द्वारा माता बिमला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर (KYP06040039), नालन्दा केन्द्र का निरीक्षण दिनांक 28.10.2023 को किया गया तथा पाया गया कि केन्द्र के द्वारा त्रुटियों का निराकरण नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरान्त माता बिमला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर (KYP06040039), नालन्दा के Invoice से माह नवम्बर-2023 से 30% की कटौती तबतक की जाएगी जबतक की त्रुटियों का निराकरण नहीं कर लिया जाता है।


उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(संजीव रंजन नीलमणि)
मिशन प्रबंधक(परियोजना)
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक—BSDM/KYP-114/2023 -2379

पटना दिनांक—13-12-23

- प्रतिलिपि—(1) माता बिमला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर (KYP06040039), नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- (2) Project Director, MKCL/Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- (3) Team Leader - KRA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- (4) मिशन प्रबंधक(वित्त एवं लेखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त केन्द्र से कटौती सुनिश्चित किया जाए।
- (5) जिला नियोजन पदाधिकारी/जिला कौशल प्रबंधक, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- (6) प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


मिशन प्रबंधक(परियोजना)
बिहार कौशल विकास मिशन।